हाई कोर्ट ने विदेशी शराब पर आयात शुल्क संबंधी 25 साल पुरानी याचिकाएं की खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: हाई कोर्ट ने विदेशी शराब पर आयात शुल्क वसूली के खिलाफ दायर दो पुरानी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यह याचिकाएं बिलासपुर के शराब कारोबारियों द्वारा वर्ष 2001 में दायर की गई थीं। हाई कोर्ट की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ अब दो अलग राज्य हैं, ऐसे में मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ में शराब लाने को अंतरराज्यीय व्यापार माना जाएगा और उस पर आयात शुल्क लगाना गलत नहीं है। यह फैसला न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की कोर्ट ने सुनाया। याचिकाएं गोल्डी वाइन प्राइवेट लिमिटेड और सतविंदर सिंह भाटिया की ओर से दायर की गई थीं। उन्होंने वर्ष 2000-01 के लिए आबकारी विभाग के नोटिस को चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ताओं ने रखा अपना पक्ष

तर्क दिया गया था कि उस समय शराब के परिवहन के लिए उन्हें एनओसी दिया गया था, इसलिए बाद में शुल्क की मांग करना अनुचित है। साथ ही यह भी कहा गया कि यह मामला राज्य पुनर्गठन (2000) से पहले का है, जब मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य थे, इसलिए किसी भी अतिरिक्त शुल्क की मांग गलत है। उन्होंने पिछली तिथि से शुल्क वसूली को आर्थिक नुकसान की आशंका से भी जोड़ा। कोर्ट ने सभी तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि चूंकि अब दोनों राज्य अलग हैं, ऐसे में अंतरराज्यीय व्यापार की श्रेणी में आने वाले माल पर आयात शुल्क लगाना वैधानिक रूप से सही है।